राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 490/2024

उनवान मृत हरिराम के कायम मुकाम प्रवीण कुमार बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 व 02 सी.पी.सी. व धारा 114 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
26.02.2026	अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 114 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2024 को पुनर्विलोकन कर तहसीलदार बाली को निर्देश जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई नवीन एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उचित सावधानी बरतने के बावजुद पूर्व में प्रस्तुत नहीं जा सका हो। साथ ही, पूर्व पारित निर्णय दिनांक 29.11.2024 पर कोई स्पष्ट त्रुटि (Error apparent on the face of record) भी परिलक्षित नहीं होती है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार मूलतः पूर्व में प्रस्तुत तथ्यों की पुनरावर्ति मात्र हैं, जो पुनर्विचार के लिए पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचता है कि प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है। फलस्वरुप पुनर्विचार प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त (खारिज) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	